

# फद अहकाम

पालत उपकरण अधिकारी एवं उपकरण नविलेट नुकान - गंगपुर सिटी

उप जिला कलेक्टर

गंगपुर सिटी

नुकदमा बत्तीलाल

नं० 7

तारीख हुकम	इजराय हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल का	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>15.4.2015 डिक्रीदार बत्तीलाल पुत्र सनलाल जाति मीना निवासी अरन्या तहसील गंगपुर सिटी की ओर से श्री रवि शंकर शर्मा, एडवोकेट ने यह इजराय हनारे समक्ष पेश की। डिक्रीदार के वकील को सुना गया। इजराय दर्ज की जावे। तहसीलदार गंगपुर सिटी को लिखा जावे कि किसी अन्य सक्षम न्यायालय से कोई स्थगनादेश नहीं होने पर डिक्री दिनांक 14.10.2014 की पालना की जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 7.5.2015 से पूर्व इस न्यायालय को भिजवावें। पत्रावली दिनांक 7.5.2015 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">डिक्रीदार</p> <p>7-515 पत्रावली पेश हुई/वकील <del>बायी/वकील</del> <del>अपस्थित</del> उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब कोरे पर है। <del>अपस्थित पर है/का रक्षणान्तरण</del> <del>हो गया है।</del> अतः पत्रावली दि० 4-6-15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> रीडर</p> <p>29-5-2015 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर वाढकलां पर पेश हुई। I.L.R. वाढकलां की रिपोर्ट के अनुसार डिक्री आदेश की पालना मामान्तरकरण सं० 709 दि० 29-5-2015 द्वारा कर दी गई है। अब इस पत्रावली में अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली पैसल्य शूमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दारिकल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> उप जिला कलेक्टर गंगपुर सिटी</p>	<p>नं० 709 दि० 29.5.15 द्वारा पालना कर दी गई है। <i>(Signature)</i> 28/5/15</p>

सुप्रीम नम्बर: 153/2013 तारीख निर्णय: 14.10.2014

- 1. बत्तीलाल पुत्र रतनलाल, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगपुर सिटी
- 2. रतनलाल पुत्र रतनलाल, मीना निवासी अरनिया तह० गंगपुर सिटी (मृतक) ---वादीगण

**बनान**

- 1. जयदेव पुत्र रतनलाल, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगपुर सिटी
- 2. श्री पुत्र मीना, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगपुर सिटी
- 3. बत्तीलाल पुत्र मीना, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगपुर सिटी
- 4. प्रभु पुत्र रतनलाल, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगपुर सिटी (मृतक)
- 4/1. मती पुत्र प्रभु, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगपुर सिटी
- 4/2. मीनाजी पुत्री प्रभु, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगपुर सिटी
- 5. श्री बैंक अफ इंडिया लि. द्वारा महुकलां जरिए शाखा प्रबन्धक
- 6. जयदेवपुत्र जयदेव रतनलाल सिटी (जैन्म होल्डर)
- 7. सुमनदेवी मीना निवासी अरनिया तहसील गंगपुर सिटी
- 8. बत्ती लाल मीना निवासी अरनिया तह० गंगपुर सिटी---प्रतिवादीगण



**यथा बन्ना बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

उपरोक्त- श्री बत्तीलाल पुत्र रतनलाल, एडवोकेट, वादी की ओर से  
श्री रतनलाल निवासी, एडवोकेट, प्रतिवादी नं० 4 के का० मु० की ओर से  
**निर्णय**

**प्रमाणित प्रति**  
सेप जिला कले  
गंगपुर सिटी (स)

वादी ने अर्पण इस अर्पण का पेश किया है कि ग्राम अरनिया में स्थित भूमि ख० नं० 55 रकबा 38 एयर, 58 रकबा 42 एयर, 58 रकबा 48 एयर, 59 रकबा 46 एयर, 231 रकबा 41 एयर, 238 रकबा 30 एयर, 237 रकबा 31 एयर, 238 रकबा 16 एयर, 238 रकबा 10 एयर, 240 रकबा 13 एयर, 241 रकबा 12 एयर, 242 रकबा 13 एयर, 244 रकबा 17 एयर, 245 रकबा 17 एयर, 246 रकबा 18 एयर, 247 रकबा 18 एयर, 248 रकबा 11 एयर, 249 रकबा 5 एयर, 250 रकबा 16 एयर, 251 रकबा 4 एयर, 254 रकबा 7 एयर, 255 रकबा 3 एयर, 259 रकबा 3 एयर, 260 रकबा 8 एयर, 261 रकबा 32 एयर, 262 रकबा 26 एयर, 263 रकबा 33 एयर, 264 रकबा 33 एयर कुल कित्ता 21.42 हेक्टर की खातेदारी राधाकिशन पुत्र रामचन्द जाति मीना साकिन देह ललिन वी बैंक अफ इंडिया शाखा महुकलां मुर्तहन (क्रमशः प्रतिवादी नं० 1 व 5) जैन्या रतनलाल, प्रभु नि० रामचन्द कौम मीना साकिन देह अंकित है। नामान्तरकरण सं० 42 दि० 21.11.05 के अनुसार ख० नं० 55, 56, 58, 59 का हिस्सा 1/4 बत्तीलाल के स्थान पर बत्तीलाल खातेदार दर्ज है। जैन्या फौत हो चुका है। जैन्या के वारिस प्रतिवादी नं० 2, 3 है। वादीगण के नाम मृतक पिता रतनलाल के स्थान पर जरिए नामान्तरकरण सं० 217 दि० 5.7.96 खातेदारी बदल चुकी है। प्रभु प्रतिवादी नं० 4 है एवं इस प्रकार वादीगण का उपरोक्त आराजियात में 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं० 2 व 3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 4 का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादी नं० 1 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी नं० 5 के यहां रहन रखा हुआ है। अर्पण के मध्य अपने पिता के समय सं० 2016 के आसपास बंटवारा हो गया है जिसके अनुसार वादीगण ख० नं० 262 रकबा 26 एयर, 260 रकबा 8 एयर, 244 रकबा 17 एयर, 240 रकबा 13 एयर, 238 रकबा 16 एयर, 239 रकबा 10 एयर, 59 रकबा 46 एयर, 250 का 1/3 6 एयर कुल रकबा 1.42 हैक्टर पर, प्रतिवादी नं० 2, 3 ख० नं० 264 रकबा 33 एयर, 258 रकबा 3 एयर, 256 रकबा 4 एयर, 247 रकबा 18 एयर, 242 रकबा 13 एयर, 231 रकबा 41 एयर, 55 रकबा 38 एयर, 250 का 1/3 रकबा 5 एयर



कुल रकबा 1.55 हैक्टर पर एव प्रतिवादी नं० 4 ख०नं० 261 रकबा 32 एयर, 254 रकबा 7 एयर, 245 रकबा 17 एयर, 248 रकबा 11 एयर, 237 रकबा 31 एयर, 58 रकबा 48 एयर, 250 का 1/3 रकबा 5 एयर कुल रकबा 1.51 हैक्टर पर काबिज है। ख०नं० 59 प्रतिवादी नं० 7 पर। प्रतिवादी नं० 1 ख०नं० 263 रकबा 33 एयर, 259 रकबा 3 एयर, 246 रकबा 18 एयर, 251 रकबा 4 एयर, 241 रकबा 12 एयर, 236 रकबा 30 एयर, 56 रकबा 42 एयर, 255 रकबा 3 एयर कुल रकबा 1.45 हैक्टर पर काबिज है। ख०नं० 249 रकबा 5 एयर, 257 रकबा 1 एयर गै०मु०चाह पक्षकारान की हिस्सा बराबर शामिल होती है। वादी नं० 1 ने दि० 17.8.95 को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा भूमि ख०नं० 262 बाबत माननीय अदालत में पेश किया था तथा उस दावे में पूर्व से ही बंटवारा होना बताया था जिसके जबाब में यह एतराज लिया गया कि मीट्स एण्ड बाण्ड्स से विभाजन नहीं हुआ है इस कारण वादी को विभाजन का दावा पेश करना चाहिए एवं जो भूमि उसके हिस्से में आवे उसके बारे में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करें। यह जबाब दावा दि० 1.7.96 को पेश किया गया। समस्त भूमि का किस प्रकार बंटवारा हो रहा है यह तथ्य उस दावे में किसी भी पक्षकार ने खुलासा नहीं किया। पूर्व बंटवारे के अनुसार चले आ रहे कब्जे वादीगण में प्रतिवादीगण नं० 1 से 4 बाधा उत्पन्न करने लग गए तथा लगभग 38 वर्ष से चले आ रहे बंटवारे के अनुसार कब्जे के अनुसार हक का विवाद पैदा करने लग गए हैं। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर पक्षकारान के संयुक्त खाते में से वादीगण को भूमि ख०नं० 262 रकबा 26 एयर, 260 रकबा 8 एयर, 244 रकबा 17 एयर, 240 रकबा 13 एयर, 238 रकबा 16 एयर, 239 रकबा 10 एयर, 59 रकबा 46 एयर का सम्पूर्ण रकबा एवं ख०नं० 250 का रकबा 6 एयर कुल रकबा 1.42 हैक्टर तथा ख०नं० 59 रकबा 46 एयर का प्रतिवादी नं० 7 को तथा ख०नं० 55, 56, 59 का हिस्सा 1/4 भरती के स्थान पर प्रतिवादी नं० 8 को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम अंकित किए जाने के आदेश प्रदान करें तथा ख०नं० 249 रकबा 5 एयर व 257 रकबा 1 एयर चाह में वादीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें। यदि मद नं० क के अनुसार बंटवारा मान्य नहीं कर विधिवत बंटवारा पुनः करना उचित समझा जावे तो वादीगण के बंटवारे में आई भूमि बाबत पृथक खातेदारी दर्ज कराने जाने के आदेश प्रदान करें। मद नं० क में अंकित आराजियात के कब्जे काश्त वादीगण में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादी नं० 1 से 4 व 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। प्रतिवादी नं० 1 के बंटवारे में दावे के अनुसार आई भूमि अथवा विधिवत बंटवारे में आई भूमि पर प्रतिवादी नं० 5 को बतौर मुर्तहन दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये नोटिस की गई। प्रतिवादी नं० 1, 2, 3, 5, 6, 7 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नहीं हुए अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 4/1, 4/2 ने वादपत्र को अस्वीकार करते हुए मीट्स एण्ड बाण्ड्स से विभाजन किए जाने का निवेदन किया।

वादीगण का यह दावा दिनांक 30.6.09 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष ने प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि विभाजन करने करने निवेदन किया है।

#### आदेश

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर पक्षकारों के मध्य निम्नप्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:-

प्रमाणित प्रतिलि  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (स०)

1. बत्तीलाल पुत्र रतनलाल जाति मीना राहिन स०मा० सह० भूमि विकास बैंक लि० शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन की खातेदारी में भूमि ख०नं० 238 रकबा 16 एयर, 239 रकबा 10 एयर, 240 रकबा 13 एयर, 244 रकबा 17 एयर, 250 रकबा 6 एयर कुल रकबा 82 एयर ग्राम अरनिया रहेगी ।

2. बत्तीलाल पुत्र रतनलाल जाति मीना की खातेदारी में भूमि ख०नं० 260 रकबा 8 एयर, 262 रकबा 26 एयर, 59/1 रकबा 3 एयर कुल रकबा 37 एयर ग्राम अरनिया रहेगी ।

3. लघाकिशन पुत्र रामचन्द जाति मीना राहिन एस०बी०बी०जे० शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन की खातेदारी में भूमि ख०नं० 56 रकबा 42 एयर, 236 रकबा 30 एयर, 241 रकबा 12 एयर, 246 रकबा 18 एयर, 251 रकबा 4 एयर, 255 रकबा 3 एयर, 259 रकबा 3 एयर, 263 रकबा 33 एयर, 58/1 रकबा 5 एयर कुल रकबा 1.50 हैक्टर ग्राम अरनिया रहेगी ।

4. मल्ली पुत्र प्रभु जाति मीना राहिन एस०बी०बी०जे० शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन की खातेदारी में भूमि ख०नं० 237 रकबा 31 एयर, 245 रकबा 17 एयर, 248 रकबा 11 एयर, 249 रकबा 5 एयर, 250/2 रकबा 5 एयर, 254 रकबा 7 एयर, 261 रकबा 32 एयर कुल रकबा 1.08 हैक्टर ग्राम अरनिया रहेगी ।

5. प्यारेलाल, हरी पिता जैन्या, भूली बेवा जैन्या जाति मीना की खातेदारी में भूमि ख०नं० 55 रकबा 38 एयर, 231 रकबा 41 एयर, 242 रकबा 13 एयर, 247 रकबा 18 एयर, 250/1 रकबा 5 एयर, 256 रकबा 4 एयर, 258 रकबा 3 एयर, 264 रकबा 33 एयर कुल रकबा 1.55 हैक्टर ग्राम अरनिया रहेगी ।

6. शान्तीदेवी पत्नि रामचरण जाति मीना राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन की खातेदारी में भूमि ख०नं० 58 रकबा 43 एयर ग्राम अरनिया रहेगी ।

7. सुन्नदेवी पत्नि उपदेशराज जाति मीना की खातेदारी में भूमि ख०नं० 59 रकबा 43 एयर ग्राम अरनिया रहेगी ।

8. लघाकिशन पुत्र रामचन्द हिस्सा 1/4, भरती पुत्र प्रभु हिस्सा 1/4 राहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन, बत्तीलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/4 राहिन स०मा० सह० भूमि विकास बैंक लि० शाखा गंगापुर सिटी, प्यारेलाल, हरी पिता जैन्या, भूली बेवा जैन्या हिस्सा 1/4 जाति मीना की खातेदारी में भूमि ख०नं० 257 रकबा 1 एयर गै०मु० चाह ग्राम अरनिया रहेगी ।

इसी अनुसार पक्षकारों के पृथक पृथक खाते कायम कर भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज की जावे एवं अलग अलग लगान निर्धारित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अनिलेख में एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे । विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी । पर्चा डिक्री जारी किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2014 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



( मुनिदेव यादव )  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (स०मा०)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी  
इकलास मुनिदेव यादव, आर०ए०एस०

उनवान

1. बत्तीलाल पुत्र रतनलाल, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी
2. रामन्यासी बेवा रतनलाल, मीना नि० अरनिया तह० गंगापुर सिटी (मृतक) ---वादीगण

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र रामचन्द, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी
2. हरी पुत्र जैन्या, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी
3. प्यारेलाल पुत्र जैन्या, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी
4. प्रभु पुत्र रामचन्द, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
- 4/1. नस्ती पुत्र प्रभु, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी
- 4/2. निलासी पुत्री प्रभु पत्नि नथुआ जाति मीना निवासी शफीपुरा
5. टी बैंक आफ राज० लि० शाखा महकलां जरिए शाखा प्रबन्धक
6. तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी (लैण्ड होल्डर)
7. सुम्नदेवी पत्नि देशराज, मीना निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी
8. शांति देवी पत्नि रामचरण, मीना निवासी अरनिया तह० गंगापुर सिटी---प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 15399/1997

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट मुद्दावलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वाद वादी डिक्री किया जाकर पक्षकारों के मध्य निम्नप्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:-

1. बत्तीलाल पुत्र रतनलाल जाति मीना राहिन स०मा० सह० भूमि विकास बैंक लि० शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन की खातेदारी में भूमि ख०नं० 238 रकबा 16 एयर, 239 रकबा 10 एयर, 240 रकबा 13 एयर, 244 रकबा 17 एयर, 250 रकबा 6 एयर कुल रकबा 62 एयर ग्राम अरनिया रहेगी ।
2. बत्तीलाल पुत्र रतनलाल जाति मीना की खातेदारी में भूमि ख०नं० 260 रकबा 8 एयर, 262 रकबा 26 एयर, 59/1 रकबा 3 एयर कुल रकबा 37 एयर ग्राम अरनिया रहेगी ।
3. राधाकिशन पुत्र रामचन्द जाति मीना राहिन एस०बी०बी०जे० शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन की खातेदारी में भूमि ख०नं० 56 रकबा 42 एयर, 236 रकबा 30 एयर, 241 रकबा 12 एयर, 246 रकबा 18 एयर, 251 रकबा 4 एयर, 255 रकबा 3 एयर, 259 रकबा 3 एयर, 263 रकबा 33 एयर, 58/1 रकबा 5 एयर कुल रकबा 1.50 हैक्टर ग्राम अरनिया रहेगी ।
4. भरती पुत्र प्रभु जाति मीना राहिन एस०बी०बी०जे० शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन की खातेदारी में भूमि ख०नं० 237 रकबा 31 एयर, 245 रकबा 17 एयर, 248 रकबा 11 एयर, 249 रकबा 5 एयर, 250/2 रकबा 5 एयर, 254 रकबा 7 एयर, 261 रकबा 32 एयर कुल रकबा 1.08 हैक्टर ग्राम अरनिया रहेगी ।
5. प्यारेलाल, हरी पिता जैन्या, भूली बेवा जैन्या जाति मीना की खातेदारी में भूमि ख०नं० 55 रकबा 38 एयर, 231 रकबा 41 एयर, 242 रकबा 13 एयर, 247 रकबा 18 एयर, 250/1 रकबा 5 एयर, 256 रकबा 4 एयर, 258 रकबा 3 एयर, 264 रकबा 33 एयर कुल रकबा 1.55 हैक्टर ग्राम अरनिया रहेगी ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (स०मा०)

6. शान्तीदेवी पत्नि रामचरण जाति मीना राहिन बैंक आफ बहीदा शाखा गंगपुर सिटी मुर्तहन की खातेदारी में भूमि ख0नं0 58 रकबा 43 एयर ग्राम अरनिया रहेगी।

7. सुमनदेवी पत्नि उपदेशराज जाति मीना की खातेदारी में भूमि ख0नं0 59 रकबा 43 एयर ग्राम अरनिया रहेगी।

8. राधाकिशन पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/4, भरती पुत्र प्रभु हिस्सा 1/4 राहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गंगपुर सिटी मुर्तहिन, बत्तीलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/4 राहिन स0मा0 सह0 भूमि विकास बैंक लि0 शाखा गंगपुर सिटी, प्यारेलाल, हरी पिता जैन्या, भूली बेवा जैन्या हिस्सा 1/4 जाति मीना की खातेदारी में भूमि ख0नं0 257 रकबा 1 एयर गै0मु0 चाह ग्राम अरनिया रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के पृथक पृथक खाते कायम कर भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज की जावे एवं अलग अलग लगान निर्धारित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

आज दिनांक 14.10.2014 को डिक्री जारी की गई।



उप जिला कलेक्टर  
गंगपुर सिटी

मुद्दे	रुपया	पैसा	मुद्दायलह	रुपया	पैसा
स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

प्रमाणित पतिलिपि

उप जिला कलेक्टर  
गंगपुर सिटी (स0मा0)